न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 374–दो/2015 विरूध्द आदेश दिनांक 02–02–2015 पारित द्वारा अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन म0प्र0 प्रकरण कमांक 8/अ–13/2013–14.

1– श्रीमती श्यामुबाई पत्नी मोहनलालजी धाकड़
2– धर्मेन्द्र पिता मोहनलालजी धाकड़
निवासीगण ग्राम बेड़ावन कृषक ग्राम कांकड़दा
तहसील नागदा जि ला उज्जैन म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– रमेशचंद्र पिता बगदीरामजी धाकड़
2– श्रीमती दुर्गाबाई पत्नी रमेशचंद्र धाकड़
निवासीगण ग्राम बेड़ावन कृषक ग्राम कांकड़दा
तहसील नागदा जिला उज्जैन म0प्र0

——— अनावेदकगण

– – –

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – अनावेदकगण

– – –

:: आदेश पारित ::

– – –

(आज दिनांक २१ नम्वबर 2015 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदकों व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 02–02–2015 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन को प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे कमांक 370 रकवा 1.56 हे, 321 रकबा 1.05 हे, 319 रकबा 0.49 हे की ग्राम कांकडदा स्थित है जो कि अनावेदक कं बगदीरामजी एवं बगदीराजमी के सगे भाई धन्नाललाजी की थी। इनमें से स्व0 धन्नालालजी ने अपने हिस्से की भूमि अपने जीवनकला में विभिन्न काश्तकारों को विकय कर दी थी। कय विकय्र होते हुये कुछ भूमि अनावेदक कमांक 2 को प्राप्त हुई तथा विवादग्रस्त रास्ते वाली बगदीराम तथा धन्नालाल के बीच में दिनांक 09–7–1958 को रास्ते संबंधित राजीनामे की लिखापढी भी गवाहों के सामने हुई थी। उपरोक्त ग्राम कांकडदा स्थिति भूमि सर्वे कमांक 370, 321, 319 पर कृषि कार्य हेतु बैल सामंद का आने जाने का पुरातन एवं व्हेवटी मार्ग आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 368, 375/1 से संलग्न नजीरी नक्शे के मुताबिक पूर्वजों के समय से रहा है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। आवेदकगण मोहनलाल द्वारा उक्त विवादग्रस्त रास्ते से कुंआ खोदकर आंशिक रूप से रोक दिया है। अतः रास्ते को पूर्ववत करवाया जाये। अपर तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर विज्ञाप्ति एवं अनावेदक को तलब करने के आदेश दिये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 02–02–15 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पर आदेश पारित कर उक्त रास्ता अंतिम निराकरण तक खोलने के आदेश दिये तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया। अपर तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के आवेदन प्रस्तुत किया था। अपर तहसीलदार ने बिना स्थल पंचनामा एवे पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन

किये रास्ते खोलने का आदेश देने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपर तहसीलदार एकपक्षीय स्थल निरीक्षण कर आवेदकगणों द्वारा वैकल्पिक दोनो तरफ के मार्ग को अनदेखा कर अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोलने के आदेश देने में त्रुटि की है। जब अनावेदक 315, 319,321 में आने जाने के लिए परंपरागत रास्त दलाहेडा ग्राम कांकर से है तथा अनावेदकगण का सर्वे कमांक 376 जो काकडदा गांव से लगा होकर उसी रास्ते का उपयोग अपने उपरोक्त सर्वे नंबरों में कृषि करने हेतु आते जाते रहे हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदगण सर्वे कमांक 368 व 375/1 में नवीन रास्ता दिये जाने में कानूनी त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 02–2–2015 निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि स्थल पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन में आवेदकगण द्वारा रास्त पर तारफेंसिंग कर अवरूद्ध किया जाना पाया था उसी के कारण अपर तहसीलदार ने रास्ता को खोलने के आदेश देने में वैधानिक कार्यवाही की है। अतः आवेदकगण की निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। अपर तहसीलदार के अभिलेख में संलग्न दिनांक 18–9–14 के स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पति/पिता मोहनलाल ने तार फैंसिंग से रास्ता रोक दिया है। उक्त स्थल पंचनामा के आधार पर अपर तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रास्ता खोलने के आदेश दिये हैं। इसके अतिरिक्त अपर तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न पूर्व में दिनांक 31–7–14 को स्थल पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन लगा है जिसमें भी आवेदकगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध करने का लेख है। अतः अपर

तहसीलदार ने धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खोलने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02–02–15 स्थिर रखा जाता है तथा अपर तहसीलदार को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उभय पक्ष के पूर्ण साक्ष्य लेकर तथा स्थल निरीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का अन्तिम रूप से तीन माह में अन्तिम रूप से निराकरण करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर